# राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

राज्य मुख्यालय

जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बजाज नगर, जयपुर – 302015 (राज.)

टेलीफोन नं. – 0141-2706830, 2941098 ई–मेल – jamboreeoffice@bsgindia.org


क्रमांक : एफ.4(  )/संगठन/जम्बूरी/2022–23/5618    जयपुर, दिनांक : 19/09/2022

**(प्री–बिड बैठक – शुद्धिपत्र)**

**छोलदारी, झब्बा व स्विस कॉटेज व्यवस्था (किराये पर)**

UBN : BSG2223SLOB00018

दिनांक 16.09.2022 को प्रातः 11.00 बजे भारत स्काउट व गाइड, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली एवं राज्य मुख्यालय, जयपुर के तत्वाधान में ग्राम नीमली ब्राह्मणान, तहसील रोहट, जिला–पाली – 306421 (राजस्थान) में स्थित दिल्ली मुम्बई इण्डस्ट्रीयल कॉरीडोर पर आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट/गाइड जम्बूरी, दिनांक 04 से 10.01.2023 तक एवं जम्बूरी पूर्व तैयारी शिविरों/गतिविधियों में **छोलदारी, झब्बा व स्विस कॉटेज व्यवस्था (किराये पर लेने हेतु)** आपूर्ति हेतु जारी निविदा के सम्बन्ध में प्री–बिड बैठक सम्पन्न हुई।

प्री–बिड बैठक में फर्मों के प्रतिनिधियों ने उक्त निविदा के बारे में जानकारी प्राप्त की एवं निम्नानुसार सुझाव/जिज्ञासा प्रस्तुत किये, जिसके सम्बन्ध में उपापन संस्था द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

| क्र.सं. | सुझाव/जिज्ञासा | संशोधन/समाधान |
|---|---|---|
| 1. | स्विस कॉटेज में गर्म पानी की व्यवस्था करनी है अथवा नहीं ? यदि हां, तो किस प्रकार करनी होगी ? | प्रत्येक स्विस कॉटेज में ठण्डे व गर्म पानी की व्यवस्था हेतु पृथक–पृथक कनेक्शन देना होगा। इस हेतु अनुबन्धकर्ता को पानी गर्म करने के लिए गैस का बॉयलर अपने व्यय पर निर्देशानुसार स्थापित करना होगा। गैस का भुगतान भी सम्बन्धित फर्म द्वारा ही देय होगा। |
| 2. | समस्त फर्मों द्वारा अवगत करवाया गया की सफेद कलर में 3000 छोलदारी एक–साथ उपलब्ध करवाई जानी संभव नहीं हो सकेगी। अतः अन्य कलर की छोलदारी भी वित्तीय निविदा में अंकित की जावे। | इस बिन्दु को स्वीकृत कर स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित फर्म को लगभग 1500 छोलदारी सफेद व 1500 छोलदारी गहरे नीले कलर में उपलब्ध करवानी होगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जम्बूरी में एक सब केम्प में 100 छोलदारी स्थापित होगी, जोकि एक ही कलर की होगी। |
| 3. | जम्बूरी से पूर्व अथवा जम्बूरी के दौरान कोरोना/अन्य किसी भी प्रकार की महामारी अथवा किसी भी कारणों से जम्बूरी का आयोजन स्थगित हो जाता है एवं फर्म द्वारा कार्यारम्भ/कार्य पूर्ण कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कार्यालय द्वारा फर्म को कितना भुगतान किया जायेगा ? | इस सम्बन्ध में स्वीकृत दरों के आधार पर जारी कार्यादेशानुसार कार्य पूर्ण करने पर समिति द्वारा कार्य प्रमाणिकरण पश्चात् निम्नानुसार भुगतान करने का निर्णय लिया गया :–<br>(1) 50 प्रतिशत तक कार्य करने पर तकमीना अनुसार सम्बन्धित कार्य की लागत का 20 प्रतिशत भुगतान।<br>(2) 100 प्रतिशत तक कार्य करने पर तकमीना अनुसार सम्बन्धित कार्य की लागत का 40 प्रतिशत भुगतान। |

शेष नियम एवं शर्तें पूर्व के अनुसार यथावत रहेंगी। उपरोक्त कार्यवाही विवरण को http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in व http://rajscoutguide.org पर शुद्धिपत्र के रूप में प्रकाशित किया जावे।

**दिनांक : 19.09.2022**
**स्थान : जयपुर**

PCJain

**राज्य सचिव**
**जयपुर**